रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1764] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 8, 2014/भाद्र 17, 1936
No. 1764] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 8, 2014/BHADRA 17, 1936

IndiaCode

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2014

का.आ. 2255(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002(2003 का 12) की धारा 10 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री यू.सी. नाहटा को भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के सदस्य के रूप में उनके पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या अगले आदेश तक के लिए, जो भी पूर्वतर हो, नियुक्त करती है ।

[फा. सं. 5/24/2013-सी एस]
मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 2014

S.O. 2255(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 8 read with sub-section (1) of Section 10 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby appoints Shri U. C. Nahta as Member of Competition Commission of India from the date of his assumption of chrage of the post for a period of five years or till he attains the age of sixty-five years or until further orders, whichever is the earliest.

[F. No. 5/24/2013-CS]
MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

3538 GI/2014

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.